pushing the employees into agitational path.

I, therefore, urge upon the Government to take steps for immediate settlement of their demands.

(viii) Crash of Aircraft flown by Shri Sanjay Gandhi.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे साजिश का भंडा-फोड़ करना चाहता हूं, जिससे एक मां की गोद सूनी हो गई, एक मांग का सिन्दूर मिटा दिया गया तथा देश को एक उदीयमान युवा नेता से महरूम कर दिया गया। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब सदन ने माननीय सदस्य संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में असमय और आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया था। पर अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन देश तथा दुनियां को आज बताना चाहता हूं कि वह साधारण मौत नहीं, एक निर्मम एवं लोमहर्षक राजनीतिक हत्या थी। यह हत्या नानाजी देशमुख के इशारे पर इंडियन एयर लाइन के एक संघी मैके-निक द्वारा श्री संजय गांधी जी द्वारा उड़ाए जाने वाले हवाई जहाज में खराबी कराके कराई गई। इस बात का आधार है बी० जे० पी० के इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री रुद्र प्रताप सारंगी का वह पत्र जो उन्होंने बी० जे० पी० के अध्यक्ष तथा माननीय सदस्य अटल जी को लिखा जिसकी प्रतिलिपि मैं सभा पटल पर रखता हूं [ग्रन्थालय में रखा गया [देखिये संख्या 1801/80]

अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर कभी हमारे देश की किसी होनहार प्रतिभा के साथ इस तरह की साजिश नहीं की जा सके। ... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामल.. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय : गंभीर मामला है तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं।.. (व्यवधान)..

श्री रुद्र प्रताप सारंगी (जमशेदपुर): मुझे खेद है कि मेरे सहयोगी श्री आर० पी० यादव ने सदन में एक ऐसा मामला उठाना उचित समझा है जो एक गन्दी जालसाजी पर आधारित है।

मैं सम्पूर्ण शक्ति के साथ इस बात का खंडन करता हूं कि मैंने श्री संजय गांधी की दुर्घटना से हुई मृत्यु के बारे में अपने दल के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी को कोई पत्र लिखा मैं श्री बाजपेयी से लगातार मिलता रहता हूं। श्री संजय गांधी की मृत्यु के बाद भी कई बार मिल चुका हूं। यदि मुझे कुछ कहना होता तो इस मामले के बारे में मैं उनसे मिलकर कह सकता था। इसलिए मैंने कहा कि यह पत्र न केवल जालसाजी का नमूना है, लेकिन एक ऐसी जालसाजी का नमूना है जो अत्यन्त भोंडी है जो किसी बेवकूफ के गले के नीचे भी नहीं उतर सकती।

मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि यह सारी कीचड़ में नानाजी देशमुख का नाम भी घसीटने की कोशिश की गई थी। नाना जी के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है और मैं श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखता हूं।

स्वर्गीय दीनदयाल की मृत्यु उस समय हुई थी जब केन्द्र में कांग्रेसी शासन था और मृत्यु की जांच के लिए जस्टिस चन्द्र चूड़ की नियुक्ति की गयी थी, यदि इस हत्या में किसी का हाथ होता तो सरकार जरूर पता लगा लेती।

मैं मांग करता हूं कि श्री आर० पी० यादव सदन को यह बतायें कि मेरे द्वारा लिखा हुआ यह कथित पत्र उन्हें कहां से मिला। इस जाली पत्र के अलावा क्या उनके पास और भी सामग्री है, जिसके

[श्री रुद्र प्रताप सारंगी]

आधार पर उन्हें मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए यह गन्दा, बेबुनियाद तथा शरारतपूर्ण आरोप लगया है ।

मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे यह आरोप सदन के बाहर लगा कर देखें, ताकि मुझे अदालत में अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने का मौका मिले ।

अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे मजबूर होकर यह निचौड़ निकालना पड़ेगा कि उनका आरोप राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और मेरे चरित्र हत्या पर उतारू हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): श्री आर० पी० यादव का बयान सुन कर मुझे गहरा धक्का लगा है । उन्होंने सदन के एक माननीय सदस्य के खिलाफ सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री नानाजी देशमुख के खिलाफ इंडियन एयर लाइन के अनाम मैकेनिक के खिलाफ और एक अखिल भारतीय संगठन के खिलाफ श्री संजय गांधी की हत्या की साजिश करने और उसके अनुसार उनकी हत्या करने का बड़ा गम्भीर आरोप लगाया है ।

अपने आरोप की पुष्टि में श्री आर०पी० यादव ने सदन के एक अन्य सम्मानित सदस्य श्री रुद्र प्रताप सारंगी का कथित पत्र पेश किया है जो मुझे सम्बोधित किया गया था ।

श्री सारंगी का कहना है और सदन ने उन्हें अभी सुन भी लिया है कि वह पत्र उन्होंने नहीं लिखा । सवाल यह है कि वह पत्र किसने लिखा है ? सवाल यह भी है कि वह पत्र जो मुझे मिलना चाहिये था, श्री आर० पी० यादव के पास कैसे पहुंचा ? क्या उसे गुप्तचर विभाग ने बीच में रोका ? यदि हां, तो सारे मामले की स्वयं जांच करने के बजाय वह पत्र श्री आर० पी० यादव को वहां से कैसे प्राप्त हो गया और उस से प्राप्त करने में वह कैसे कामयाब हो गए ?

23 जून की विमान दुर्घटना के बाद श्री सारंगी मुझे कई बार मिल चुके हैं । उन्होंने श्री संजय गांधी की मृत्यु के पीछे किसी कथित साजिश का उल्लेख नहीं किया । 11 अक्तूबर 1980 के बाद भी जब कहा जाता है कि उन्होंने पत्र लिखा था, श्री सारंगी मुझे मिले हैं । उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि मुझे उन का पत्र कोई मिला है या नहीं ।

यह स्पष्ट है कि यह सारा मामला श्री सारंगी, श्री नानाजी देशमुख, मुझे तथा मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठ-मूठ तरीके से गड़ा गया है । श्री सारंगी का कथित पत्र एक ऐसी जालसाजी है जो कमीनेपन, गन्दगी और भोंडेपन की सभी सीमाओं को पार कर गई है ।

यदि श्री संजय गांधी की दुर्घटना में हुई मृत्यु की अदालती जांच कर ली जाती तो इस प्रकार के आरोपों के लिए कोई गुंजाइश न रहती । हवाई दुर्घटना की जांच का आदेश दिया गया था किन्तु उसे रद्द कर दिया गया । यहां तक कि दुर्घटना की जो विभागीय जांच की गई थी उस के निष्कर्षों को भी प्रकाशित नहीं किया गया है ।

श्री यादव के आरोप को ध्यान में रख कर मैं इस मांग को दोहराता हूं कि श्री संजय गांधी की दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारणों की जांच सुप्रीम कोर्ट के दो जजों द्वारा कराई जाए । इन जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस द्वारा होनी चाहिये । यह भी आवश्यक है कि जांच का स्वरूप व्यापक हो ।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस से यह शक है कि श्री संजय गांधी की मृत्यु के पीछे कोई साजिश थी और क्या वह चाहती है कि सारे मामले की पूरी जांच हो जिस से श्री यादव द्वारा लगाये गये निराधार आरोप भविष्य में फिर न दोहराए जाएं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार उन के जवाब की कापी मुझे मिलनी चाहिये। ऐसा किया जाता तब शायद मैं फिर कुछ कह पाता। मैं एक बात कह देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि यह एक साजिश है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि सदन में क्या वह कहेंगे कि उनका यह पत्र नहीं है, यह उन के हस्ताक्षर नहीं हैं ?

12.43 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF MARUTI LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE—contd.

AND

MARUTI LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: Now we resume further discussion on the Statutory (Rajapur): Sir, please note down that Prof. Dandavate.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, please note down that we have already begun late.

MR. SPEAKER: I will cut down 15 minutes.

PROF. MADHU DANDAVATE: Mr. Speaker, Sir, the entire question of the ordinance being converted into an Act through the Bill that has been presented over here for consideration, I totally oppose.

Sir, I am not concerned about the personalities involved. I am more concerned about the perspectives and the policies. It is not possible to avoid the various circumstances and the background under which the Maruti Limited was set up, the letter of intent was accepted and the Maruti factory was allowed to proceed further with its work. Therefore, I will have to give a little background.

In the sixties, the Government had already formulated certain economic policies and if due to the objective conditions in the country, the economic policies of this country had changed, I had no objection at all. But if the economic policies and the financial approach is changed only to suit a particular individual I would say that it is the most objectionable orientation and reversal of policy.

In the early sixties—in 1962 to be very exact—in this very House a statement was made by the Minister of Steel and Heavy Industries, that the highest priority will have to be accorded for the automobile industry to be expanded in the public sector. That continued to be the official policy document and pronouncement of the Government of India. It was the very Congress Government that was in power and, I am sure, that after due consideration this was the policy orientation that was given. But in spite of that, the policy was reversed.

When Shri Sanjay Gandhi put up a letter of intent, the letter of intent was accepted. Here I would concede that this Government has perfect right to go ahead with any policy that it wants to pursue. Even when the letter of intent was accepted, in preference to some other letters of intent, four important conditions were laid down. I am very clear in my mind that all these four conditions were violated before the